न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

[illegible] संख्या 114/2018

मोहनलाल पुत्र स्व. रतनाराम पुत्र देवराम
[illegible] देवी पत्नी स्व. रतनाराम पुत्र देवाराम
[illegible] पत्नी स्व. रामस्वरूप पु. स्व. रतनाराम
[illegible] पुत्र स्व. रामस्वरूप पु. स्व. रतनाराम
मुकेश कुमार पुत्र स्व. रामस्वरूप पु. स्व. रतनाराम
[illegible] पत्नी गोपाल लाल पुत्री रामस्वरूप निवासी भदाल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
मीरा देवी पत्नी शंकरलाल पुत्र स्व. रतनाराम
दिनेश पुत्र शंकरलाल पुत्र स्व. रतनाराम
धर्मेन्द्र पुत्र शंकरलाल पुत्र स्व. रतनाराम
[illegible] पत्नी गोपाल लाल पुत्री शंकरलाल निवासी बोराज तहसील दूदू जिला जयपुर।
सुनीता पत्नी कैलाश पुत्री शंकरलाल निवासी बोराज तहसील दूदू जिला जयपुर।
मंजू जरिये कुदरती माता मीरादेवी पत्नी शंकरलाल
[illegible] पुत्र स्व. देवाराम
[illegible] देवी पत्नी फूलाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र फूलाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र फूलाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र फूलाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र फूलाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पत्नी स्व. श्री बिरदाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र बिरदाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र बिरदाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र बिरदाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र बिरदाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र बिरदाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पत्नी हनुमान पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र हनुमान पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र हनुमान पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र हनुमान पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पत्नी भैरू पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र भैरू पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र भैरू पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र भैरू पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र भैरू पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र भैरू पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र भैरू पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पत्नी स्व. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र स्व. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र स्व. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र स्व. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पुत्र स्व. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री देवाराम
[illegible] पत्नी स्व. गंगाराम पुत्र स्व. भागुराम उर्फ भागला
[illegible] पुत्र स्व. गंगाराम पुत्र स्व. भागुराम उर्फ भागला
[illegible] पुत्र स्व. गंगाराम पुत्र स्व. भागुराम उर्फ भागला
[illegible] पुत्र स्व. गंगाराम पुत्र स्व. भागुराम उर्फ भागला
[illegible]

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
नायब तहसीलदार सब तहसील किशनगढ रेनवाल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
...लाल पुत्र स्व. पेमाराम पुत्र स्व. लिखमाराम
... पुत्र स्व. पेमाराम पुत्र स्व. लिखमाराम
...लाल स्व. पेमाराम पुत्र स्व. लिखमाराम
... पुत्र स्व. भींवाराम पुत्र स्व. लिखमाराम
... पुत्र स्व. भींवाराम पुत्र स्व. लिखमाराम
... पुत्र स्व. भींवाराम पुत्र स्व. लिखमाराम
... पुत्र स्व. भींवाराम पुत्र स्व. लिखमाराम
... देवी बेवा लादूराम पुत्र स्व. लिखमाराम
...लाल पुत्र स्व. लादूराम पुत्र स्व. लिखमाराम
...लाल पुत्र स्व. लिखमाराम
... जातियान कुमावत निवासियान बडी वालों की ढाणी मण्डा भींमसिंह तहसील फुलेरा जिला

रेस्पोडेन्ट्स

...लाल पुत्र स्व. बिरदाराम पुत्र स्व. देवाराम
...लाल पुत्र स्व. गंगाराम पुत्र स्व. भागुराम उर्फ भागला
समस्त जातियान कुमावत निवासियान बडी वालों की ढाणी मण्डा भीमसिंह तहसील ... जिला जयपुर।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए विरूद्ध तहसीलदार फुलेरा दिनांक 28.11.1978 जिसके अन्तर्गत तकासमा आदेश पारित किये गये

निर्णय दिनांकः– 21/8/19

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीए विरूद्ध तहसीलदार फुलेरा दिनांक ... में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट 1 लगायत 47 एवं रेस्पोडेन्ट 3 लगायत 12 एक ... किशनाराम पुत्र सीताराम के वंशज है एवं किशनाराम के कुल तीन पुत्र क्रमशः देवाराम, ... एवं भागुराम उर्फ भागला थे इन समस्त का देहान्त हो चुका है एवं अपीलान्ट 1 लगायत ... रेस्पोडेन्ट्स 3 लगायत 12 एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स 13 एवं 14 उनके कायम मुकाम वारिसान ...

तहसीलदार फुलेरा ने भूमियों के विभाजन के आदेश आरटीए की धारा 53 के विपरीत दिनांक ... को पारित कर दिये एवं रतनाराम वगैरह के 36 बीघा 16 बिस्वा एवं भागूराम उर्फ ... के 33 बीघा 14 बिस्वा एवं लिखमाराम वगैरह के हिस्से में 39 बीघा 18 बिस्वा भूमि का ... के आदेश पारित कर दिये एवं उन्होंने समतुल्य भूमि विभाजन के सिद्धान्त एवं अच्छी में ... कमजोर में कमजोर भूमि के सिद्धान्त पर equitable डिवीजन न करके मनमाना डिवीजन ... सहमति एवं सहमति के कर दिया।

... अनुसार लिखमा पुत्र किसना कौम कुम्हार के हिस्से में खसरा नंबर 88/1/1/1 ... बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 88/3/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 134/2 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 367/1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 369/1 रकबा 1 बीघा 9 ... खसरा नंबर 366 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 342 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 340/1 ...

अतिरिक्त कल...
(तृतीय) ज...

[illegible] बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 181/4 रकबा 3½ बीघा, खसरा नंबर 66/1 रकबा [illegible] बिस्वा, खसरा नंबर 66/5 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 84/2 रकबा 17 [illegible] नंबर 119 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा भूमि है।

[illegible], नन्दा, फूला, बिरदा, हनुमान, भैरू, लक्ष्मण पि. देवा कौम कुम्हार साकिन देह बहिस्सा [illegible] अनुसार खसरा नंबर 88/1/1/3 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर [illegible] रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 134/1 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 135 रकबा 2 बीघा [illegible] खसरा नंबर 369/2 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 340/2 रकबा 1 बीघा 6 [illegible] नंबर 181/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 181/5 रकबा 3½ बीघा, खसरा [illegible] रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 66/4 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 10 [illegible] बीघा 16 बिस्वा भूमि है।

[illegible], नन्दा, फूला, बिरदा, हनुमान, भैरू, लक्ष्मण पि. देवा बहिस्सा बराबर लिखमा, भागला [illegible] कुम्हार के हिस्से में खसरा नंबर 66 रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 367 [illegible] बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 369 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 340 रकबा 3 [illegible] बिस्वा, खसरा नंबर 342 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 366 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर [illegible] बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 119 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 181 रकबा 13 बीघा 17 [illegible] नंबर 134 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 135 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा [illegible] रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 137 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 138 रकबा 9 [illegible] किता 14 कुल रकबा 79 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स अपने 1/3 [illegible] सदैव से काबिज चले आ रहे हैं एवं आज भी काबिज है।

[illegible], नन्दा, फूला, बिरदा, हनुमान, भैरू, लक्ष्मण पि. देवा बहिस्सा बराबर लिखमा, भागला [illegible] कुम्हार के हिस्से में खसरा नंबर 88/2 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 88/1/1 [illegible] खसरा नंबर 88/3 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 36 बीघा 110 [illegible] है।

[illegible] भूमि का जो विभाजन किया गया है वो बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं किया गया [illegible] अंगूठे लगाये गये उन सबका सिवाय नन्दा पुत्र देवाराम के देहान्त हो चुका है एवं [illegible] अंगूठा भी फर्जी है। इससे जाहिर है कि राजस्व अभियान में जल्दबाजी में गैर कानूनी [illegible] लगवाकर अपीलान्ट्स की पैतृक कृषि सम्पति का unequitable एवं असमान विभाजन [illegible] का उल्लंघन करते हुए कर दिया जिसमें रेस्पोडेन्ट्स को 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि 1/3 [illegible] अधिक दे दी। उक्त आदेश की तरमीम वर्तमान नक्शे में भी नहीं हुई है एवं [illegible] एवं रेस्पोडेन्ट्स सदैव से 1/3 हिस्से के अन्दर जो काबिज चले आ रहे थे वो वर्तमान [illegible] हिस्से पर ही काबिज है, जो कमी बेशी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हुई है उसका [illegible] बराबर–बराबर भूमि काबिज काश्तकारी में है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश गैर [illegible] के कारण एवं without jurisdiction पारित होने के कारण निरस्त किया जाना आवश्यक [illegible] अपीलान्ट्स सदैव के लिए 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि से महरूम हो जायेंगे एवं पैतृक कृषि [illegible] रूप से रेस्पोडेन्ट्स के नाम सदैव के लिए हो जायेगी।

[illegible] खसरा नंबर 88/1/1/1/1 रेस्पोडेन्ट्स सं. 3 लगायत 12 के अंकित हुई है एवं [illegible] अपीलान्ट संख्या 41 लगायत 47 के हिस्से में अंकित की गई है एवं खसरा नंबर [illegible] अपीलान्ट 1 लगायत 40 के हिस्से में दी गई है। यह कि 88/1/1/3 भूमि जो [illegible] गई है उसमें से साढे चार बीघा भूमि पर पहले से ही नरसी पुत्र देवा, रामेश्वर पुत्र देवा, [illegible] श्रवण पुत्र कल्याण वगैरह का कब्जा है इस कारण अपीलान्ट्स के पक्ष में [illegible] of holding नहीं हुआ और उपरोक्त 3 बीघा 2 बिस्वा के अतिरिक्त साढे चार बीघा [illegible] भूमि को शामिल करने पर 7 बीघा करीब भूमि से अपीलान्ट्स महरूम हो जाते हैं [illegible] ने जालसाजी करके भूमि अपीलान्ट्स में दर्ज करवा दी। अधीनस्थ न्यायालय तहसील [illegible] नामान्तकरण के साथ विभिन्न रंगों में सहकाश्तकारों को विभाजन में दी गई कृषि भूमि [illegible] नामान्तकरण संख्या 506 दिनांक 28.11.1978 में चस्पा नहीं किया एवं भूमि

अतिरिक्त कल[illegible] (तृतीय) जय[illegible]

[illegible] द्वारा प्रस्तुत जवाब में तथ्यों को स्वीकार करते हुए अंकित किया गया है कि प्रतिवादी [illegible] सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर ने जो तकासमा आदेश [illegible] को पारित किये हैं उक्त आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किये गये आदेश है [illegible] Division of Holding न होकर unequitable Division किया गया है जिसे न्यायहित में [illegible] जाना आवश्यक है।

[illegible] पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में [illegible] गया कि तहसीलदार फुलेरा ने दिनांक 28.11.1978 को जो तकासमा किया था उसमें [illegible] नंबर 131 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 133/3 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, [illegible]/3 रकबा 1 बीघा भूमि खातेदारान रतना, नन्दा, फूला, बिरदा, हनुमान, भैरू, लक्ष्मण [illegible] को कुर्रेजात व नक्शे में दी गई थी जो बाद में क्रॉस लगाकर विभाजन से बाहर कर [illegible] आराजी खसरा नंबर 133/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा खातेदार लिखमा पुत्र किसना, [illegible]/1 रकबा 1 बीधा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 341/2 रकबा 1 बीघा भूमि हिस्सेदार [illegible] पुत्र किसना को दी थी उन भूमियों को भी क्रॉस लगाकर विभाजन से बाहर कर [illegible] नक्शा, कुर्रेजात रिपोर्ट, रंग भराई सहित फोटो प्रति प्रस्तुत की है।

[illegible] प्रकरण में आराजी खसरा नंबर 367 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 369 [illegible] 18 बिस्वा, खसरा नंबर 340 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 342 रकबा 13 [illegible] नंबर 366 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा के 1/3 में 3 बीघा 7 बिस्वा [illegible] जो कि बराबर न करके लिखमा राम को 4 बीघा 15 बिस्वा व भागला को 2 बीघा 12 [illegible] नन्दा, फूला, बिरदा, हनुमान, भैरू और लक्ष्मण पिता देवा को 2 बीघा 15 बिस्वा ही [illegible] गई।

[illegible] नंबर 134 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 135 रकबा 2 बीघा 16 [illegible] नंबर 136 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा के 1/3 में 4 बीघा [illegible] आनी चाहिये, जो कि बराबर न करके लिखमा राम को 5 बीघा 3 बिस्वा भागला को 4 [illegible] बिस्वा व रतना, नन्दा, फूला, बिरदा, हनुमान, भैरू और लक्ष्मण पिता देवा को 3 बीघा 6 [illegible] में दर्शायी गई है।

[illegible] ने अपनी अपील के समर्थन में RBJ (14) 2007 पेज 192 से 195, RBJ (16) 2009 पेज [illegible] RBJ (I) 2010 पेज 285 से 288, RRT (1) 2011 पेज 57 से 64, RRT 2011 (Supp.) पेज [illegible] RRD 1989 पेज 45 से 47 नजीरों के न्यायिक दृष्टांत संलग्न किये है।

[illegible] की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट ने [illegible] द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.1978 जिसमें काश्तकारों द्वारा आपसी सहमति [illegible] का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा उक्त प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान के मध्य [illegible] तकासमे के आदेश पारित किये गये तत्पश्चात उक्त आदेश की पालना में राजस्व [illegible] किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील लगभग 45 वर्ष [illegible] की गई है जो केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की बदनियती के [illegible] है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

[illegible] ने लगभग 45 वर्ष के बाद उनवानी पेश की है जिसमें उक्त 45 वर्ष विलम्ब का [illegible] पर्याप्त कारण नहीं बताया है एवं जो तकासमा तहसीलदार द्वारा वर्ष 1978 में किया है [illegible] पक्षकारान की बतौर सहमति हस्ताक्षर किये हुये है जिससे यह साबित होता है कि उक्त [illegible] सभी पक्षकारान पूर्णतया सहमत रहे है यदि अपीलान्ट को उक्त तकासमा बाबत कोई [illegible] की असहमति थी तो उनके द्वारा 45 वर्ष की अवधि तक चुप रहना तथा उक्त आदेश [illegible] करना इस बात को द्योतक है कि अपीलार्थी उक्त तकासमा से पूर्णतः सहमत थें [illegible] के चलते 45 वर्ष बाद उनवानी अपील पेश की है, वह खारिज किये जाने योग्य [illegible] तहसीलदार, फुलेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.1978 की पत्रावली भी रिकॉर्ड पर [illegible] ऐसी सूरत में माननीय अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना [illegible] में निर्णय पारित करना संभव नहीं है।

[illegible] कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि आदेश [illegible] में किसी प्रकार की कोई अनियमितता रही है।

[illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं न्यायिक दृष्टांतों का बगौर अवलोकन [illegible] किया। बाद अवलोकन स्पष्ट है कि हम पाते हैं कि अपीलाधीन आराजी [illegible] दिनांक 27.11.1978 को विभाजन हुआ है। विभाजन में सहमति के फलस्वरूप [illegible] के हस्ताक्षर किये जाना जाहिर है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने पत्रावली के [illegible] कोई ठोस दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि [illegible] जायज हक अधिकारों से महरूम होना साबित हो। विभाजन तिथि एवं अपीलान्ट [illegible] अपील की समयावधि भी लगभग 36 वर्ष के दौरान अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की [illegible] से प्रथम दृष्ट्या यह पाया जाता है कि यह अपील मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान [illegible] की नियत से की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती [illegible] में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर तकमील नम्बर [illegible]

(हिम्मत सिंह बारहठ)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट, तृतीय, जयपुर